9/

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं0--563/2017--18

नागेन्द्र सिंह वगैरह बनाम राज्य एवं रूपेश कुमार

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
7-6-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद नागेन्द्र सिंह वगैरह द्वारा अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ के अतिक्रमण वाद सं0 $\frac{17}{6}$ /2015--16 में दिनांक 10.08.2017 एवं 16.10.2017 को पारित आदेशोंपरान्त निर्गत नोटिस के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न तथ्यों के आधार पर अपील दाखिल किया गया है :-- 1. अपीलकर्त्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ के अतिक्रमण वाद सं0--$\frac{17}{6}$ /2015--16 में ग्राम--टड़वाँ, खाता सं0--83, खेसरा सं0--73 एवं 74 के क्रमशः 11--11 डी0 गैरमजरूआ आम भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है। 2. अपीलकर्त्ता का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0--7430/17 उदय सिंह बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण वाद प्रारम्भ किया गया है, जबकि अपीलार्थी मोहिउद्दीनपुर के निवासी हैं, जिसके भूमि का खेसरा सं0--76, 79, 80, 81 एवं 92 है, जिस पर अपीलार्थी का मकान निर्मित है और विपक्षी द्वारा गलत ढंग से नोटिस निर्गत किया गया है। 3. अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक--10.08.17 के आदेश द्वारा खेसरा सं0--74 के रकवा--11 डी0 पर अतिक्रमण वाद प्रारम्भ किया गया एवं अतिक्रमणकारी श्री रामानुज पाण्डेय को माना गया। पुनः दिनांक--16.10.17 को आदेश पारित कर रामानुज पाण्डेय सहित अन्य सात लोगों के विरूद्ध खेसरा सं0--73 एवं 74 के रकवा क्रमशः 11--11 डी0 भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें किसी के विपक्ष को सुने बिना आदेश पारित किया गया।	

4. अपीलार्थी का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि का बिना विधिवत् जाँच किये जिसमें कि सभी पक्षकारों को नोटिस होता नापी का कार्य किया गया और अतिक्रमण वाद में नोटिस निर्गत किया गया।

5. अपीलार्थी ने उल्लेखित किया है कि निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व न तो सुनवाई का मौका दिया गया और ना ही कारण पृच्छा दायर करने का मौका दिया गया। अन्ततः अपीलार्थी का आवेदन प्रश्नगत मामले में सभी पक्षकारों को विधिवत् नोटिस निर्गत कर सुनवाई का मौका दिये जाने पश्चात् अतिक्रमण वाद में कार्रवाई चाहते हैं।

उपस्थित सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0--7439/17 उदय सिंह बनाम राज्य व अन्य में दिनांक--18.10.17 को आदेश पारित कर अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के स्तर से अतिक्रमण वाद में विधिसम्मत् तरीके से कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिये हैं। अपीलार्थी के आवेदन में गैरमजरूआ आम भूमि खेसरा सं0--73 एवं 74 पर उन लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है, इस तथ्य को कहीं उल्लेखित नहीं किया है और पिछले दो तिथि से वे न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। स्पष्टतः अपीलार्थी की मंशा मात्र मामले को लंबित रखने का है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

अभिलेख के अवेलोकन एवं तथ्यों के अनुशीलन पश्चात् यह स्पष्ट है कि गैरमजरूआ आम रास्ता की भूमि ग्राम--टड़वाँ, खाता सं0--83, खेसरा सं0--73 एवं 74 की भूमि को अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और रास्ते के भूमि का अतिक्रमण अविलम्ब हटाया जाना अपेक्षित है और इस संबंध में माननीय न्यायालयों के अनेक आदेश निर्गत हैं।

उक्त के आलोक में अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर विपयांकित आम रास्ता की भूमि से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

7/6/18
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

7/6/18
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।